

18.07.2025:

पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही की जा रही है। वादी अधिवक्ता को वास्ते तलबी लगातार अवसर दिये गये। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण प्रार्थना पत्र तलबी अभाव मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Man
सहायक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

